कार्यालय जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पलामू।

(पंचायत शाखा)

Phone No. 06562-224077,224033 E-mail - ddc-pal@nic.in

15वें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत कनीय अभियंता/लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवा प्राप्त करने हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–178 दिनांक 13.03.2021 के संबंध में सूचना।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड राँची के अधिसूचना संख्या– 395 दिनांक 19.02.2021 के आलोक में पलामू जिला अन्तर्गत 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत कनीय अभियंता के 42 एवं लेखा लिपिक–सह– कम्प्यूटर ऑपरेटर के 52 पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन की सूची के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति के उपरान्त विषय ज्ञान संबंधी परीक्षा हेतु कोटिवार 3 गुणा अभ्यर्थियों की संशोधित अंतिम मेधा सूची जिला के **Official Website- www.palamu.nic.in** पर अपलोड कर दी गयी है।

उक्त दोनों पदों के वैध/योग्य पाये गये कोटिवार 3 गुणा अभ्यर्थियों की विषय ज्ञान संबंधी परीक्षा दिनांक 05.09.2021 को पलामू जिला मुख्यालय स्थित राजकीयकृत+2 गिरीवर उच्च विद्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित की गयी है। प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:30 बजे से 12:30 बजे अपराह्न तक) कनीय अभियंता पद के लिए तथा द्वितीय पाली में (अपराह्न 02:00 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक) लेखा लिपिक–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसका प्रवेश पत्र जिले के **Official Website- www.palamu.nic.in** पर अपलोड कर दी गयी है, जिसे दिनांक 03.05.2021 से 04.05.2021 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर लेंगे। प्रवेश पत्र अलग से डाक या किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जायेगी।

<u>परीक्षार्थी हेतु महत्वपूर्ण निर्देश :–</u>

- *परीक्षा स्थल पर परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से एक घंटे पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।*
- *परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर अपने साथ निम्न सामग्री लाना सुनिश्चित करेंगे :–*
  (क) प्रवेश पत्र के साथ अपना दो अद्यतन फोटोग्राफ एवं दो बॉल पेन।
  (ख) एक वैध पहचान–पत्र की मूल प्रति एवं एक छायाप्रति के साथ यथा– आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड आदि।
  (ग) मास्क एवं हैण्ड सैनिटाईजर।
- *परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।*
- *परीक्षा केन्द्र पर किताब, कैलकुलेटर, पेजर, मोबाईल/किसी भी प्रकार का डिजिटल यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है।*
- *कदाचार करते पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।*

Sd/- .9.2021

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
पलामू।